कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 53/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री जयसिंह सीलण पुत्र श्री मामचन्द सीलण निवासी भोजासर तहसील I तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।(राज.)

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा।

--प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः-31.10.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र दिनांक 13.8.2019 द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादराद्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने के कारण यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 13.8.2019 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध है तो सूचना नियमानुसार दी जावे यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है तो नही की सूचना दी जावे। अपीलार्थी को सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में दी जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official